

प्रेस नोट

दिनांक 25.08.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा लडकी को बहला-फूसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-263/24, धारा 137(2),87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आदित्य सैनी पुत्र दीनानाथ सैनी नि0 कटरा भोगचन्द्र थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को कोल्ड स्टोरेज तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.08.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को विपक्षी आदित्य पुत्र दीनानाथ सैनी द्वारा बहला-फूसलाकर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 संजीव सिंह द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 25.08.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त आदित्य सैनी को कोल्ड स्टोरेज तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता द्वारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान के उपरांत धारा 87 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आदित्य सैनी पुत्र दीनानाथ सैनी नि0 कटरा भोगचन्द्र थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-263/24, धारा 137(2),87 बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव सिंह।
02. हे0का0 विपिन सिंह।
03. हे0का0 सुनील यादव।
04. का0 विजय कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट,

दिनांक 25.08.2024

मोटरसाईकिल चोरी की कई घटनाओं का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-102/24, धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0-203/24, धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0-620/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त शातिर चोर-01. नूर आलम पुत्र मखफूल अहमद नि0 लेहडीपुरम मोहल्ला रघुकुल थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गायत्रीपुरम चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे व निशानदेही से चोरी की 03 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 23.08.2024 को वादी धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र दयाशंकर सिंह नि0 सिविल लाइन जेल रोड थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 22.08.2024 को अपनी मोटरसाईकिल से मकफूल अहमद के घर अपना बकाया पैसा लेने गया था। जहां से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी मोटरसाईकिल को चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 अविनाश सिंह द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 25.08.2024 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त नूर आलम को गायत्री पुरम चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे व निशानदेही से चोरी की 03 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण—

गिरफ्तार अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त आर्थिक लाभ कमाने हेतु मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता है। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 22.08.2024 को अपने घर के बाहर खड़ी सीडी-100 मोटरसाईकिल को चोरी की थी तथा दिनांक 14.02.2024 को महिला चिकित्सालय से पैशन प्रो0 मोटरसाईकिल व दिनांक 01.04.2024 को जिला चिकित्सालय से एच0एफ0 डिलक्स मोटरसाईकिल चोरी की थी। जिनके सम्बन्ध में पूर्व में थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नूर आलम पुत्र मखफूल अहमद नि0 लेहडीपुरम मोहल्ला रघुकुल थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

01. मु0अ0सं0-102/24, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0-203/24, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0सं0-620/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. मु0अ0ंस0—102/24, धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित 01 अदद पैशन प्रो मोटरसाईकिल नम्बर—यू0पी042ए0सी0 5755
02. मु0अ0ंस0—203/24, धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित 01 अदद एच0एफ0 डिलक्स मोटरसाईकिल नम्बर—यू0पी043ए0के0 7679
03. मु0अ0ंस0—620/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 सी0टी0—100 यू0पी0 43 डी 5648

गिरफ्तार कर्ता टीम—

02. उ0नि0 अविनाश सिंह ।
02. उ0नि0 उमाशंकर उपाध्याय ।
03. हे0का0 मनोज यादव ।
04. का0 संदीप कुमार ।

मीडिया सेल, गोण्डा ।

प्रेस नोट

दिनांक 25.08.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अपहरण कर दुराचार करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार –

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-176/24, धारा 137(2),87,70(2) बीएनएस व 5^{जी}/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों-01. अनस पुत्र अबुल कलाम नि0 ग्राम मझौवा तोग शाहपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा, 02. शादाब अहमद पुत्र स्व0 सोहराब अली नि0 ग्राम मझौवा तोग शाहपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को चन्द्रदीप घाट से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.08.2024 को थाना खोड़ारे क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ स्कूल पढने गयी थी लेकिन स्कूल के बाहर से ही विपक्षी अनस व शादाब द्वारा दो अज्ञात लोगो के साथ मिलकर मेरी पुत्री व उसकी सहेली को जबरन अपहरण कर उनके साथ दुराचार किया गया है। वादी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 25.08.2024 को थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्तों-01. अनस पुत्र अबुल कलाम, 02. शादाब अहमद पुत्र स्व0 सोहराब अली चन्द्रदीप घाट से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अनस पुत्र अबुल कलाम नि0 ग्राम मझौवा तोग शाहपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
02. शादाब अहमद पुत्र स्व0 सोहराब अली नि0 ग्राम मझौवा तोग शाहपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-176/24, धारा 137(2),87,70(2) बीएनएस व 5^{जी}/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष खोड़ारे सर्वजीत गुप्ता।
02. उ0नि0 कामेश्वर राय।
03. उ0नि0 त्रियुगी शर्मा।
04. हे0का0 शिव कुमार नायक।
05. का0 सचिन यादव।
06. का0 प्रदीप कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 25.08.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 01 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजी:-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुड़े जोड़ों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 01 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया ।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-

श्री गंगाधर शुक्ल, श्री शशि कुमार भारती, श्री राजमंगल मौर्या, श्री यशोदा नन्दन त्रिपाठी, म0का0 शाहिना बानों।

मीडिया सेल, गोंडा।

